न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ **बनाम** 1.नखतसिंह पुत्र स्व. खुमानसिंह उम्र 50 साल जाति राजपूत निवासी भैलाणी तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 04 / 2014 बअनवान खुमानसिंह कायम मुकाम नखतसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम भैलाणी के खसरा नम्बर 257 / 506 रकबा 54.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 28.05.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। राजकीय अभिभाषक की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यो में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भेलाणी के समरी खसरा संख्या 3 (सौगात वाला) रकबा 172.10 बीघा खुमानसिंह पुत्र जसवंतसिंह के नाम वर्तमान खसरा संख्या 257 रकबा 328 बीघा किस्म बारानी खातेदारी दर्ज कर बंजड़ होने के कारण उजदारी पेश करने के पश्चात 100 बीघा के अलावा भूमि काट दी गई और सिवायचक दर्ज कर दी गई। वर्तमान खसरा संख्या 257/506/519 रकबा 60 बीघा गंगाराम पुत्र जगाराम कौम मेघवाल को आवंटन कर दी तथा वर्तमान खसरा संख्या 257/506/517 रकबा 60 बीघा किस्म बारानी नखतसिंह पुत्र भीखसिंह कौम राजपूत को आवंटित कर दी तथा खसरा संख्या 257/506/518 रकबा 38.10 बीघा भैराराम सांगाराम कौम मेघवाल को आवंटित कर दी तथा शेष भूमि खसरा संख्या 257/506 रकबा 54.10 बीघा कब्जा काश्त में होना अपीलांट ने कथित किया है। तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम भेलाणी (EXP-2) साबित करता है कि वादी के पिता खुमाणसिंह के द्वारा वक्त बंदोबस्त कम की गई भूमि के संबंध में उजदारी करने पर उसको समरी की पूर्ति में 100 बीघा रकबा और दर्ज किया गया। और अकेले उसको 05 खसरों में कुल 377 बीघा भूमि दी गई वादी को पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना रिकॉर्ड पर है वादी इस लिहाज में दावा लाने का अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ही नहीं ठहरता। इसके अलावा **वादग्रस्त भूमि पर उसका वक्त सेटलमेंट के बाद कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। सरकारी गवाह पटवारी लेखदान के बयानों मुताबिक "रेकर्ड के अनुसार अतिक्रमण दर्ज नहीं है।"** उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 04/2014 बअनवान खुमानसिंह कायम मुकाम नखतसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 को अपास्त किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतसिंह बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner